

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाड़ी, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी: रामकरण सिंह आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- 410/2025

दायर दिनांक:- 24.06.2025

उनवान

कृष्णकुमार बनाम तहसीलदार निवाड़ी

वादी की ओर से :- श्री ओमप्रकाश माली एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- पैरोकार सरकार

प्रार्थना बाबत- अर्न्तगत धारा 128 राज. भू राजस्व अधि -1956

निर्णय

दिनांक... 10/10/25

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र मय शपथ पत्र अर्न्तगत धारा-128 इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 592/4 रकबा 3.7939 है 0 वाके ग्राम ललवाडी पटवार हल्का ललवाडी तहसील निवाड़ी में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात का खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज है। प्रार्थी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाना चाहता है, इसलिए प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।


प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार निवाड़ी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि का सीमांकन नहीं होने के कारण आये दिन काश्तकारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा -128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाड़ी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन ना हो तो प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 592/4 रकबा 3.7939 है 0 वाके ग्राम ललवाडी पटवार हल्का ललवाडी तहसील निवाड़ी जिला टोंक का पटवारी/भूअ.नि. की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसुल किया जावे। पत्थर गढी से पूर्व तहसीलदार निवाड़ी सम्बिधत पक्षकारो को यथासंभव सूचित करेंगे। कार्यवाही के दौरान मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय दिनांक... 10/10/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
निवाड़ी जिला टोंक